न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 18/2020 निर्णय दिनांक 08.12.2020

बउनवान

1.रामकरण पुत्र जवाहर लाल जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. नवीन पुत्र इन्द्रकुमार जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा।
2. आशा पुत्री इन्द्र कुमार पत्नि सुरेश जी माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा कोटा।
3. मधु पुत्री इन्द्रकुमार पत्नि तेजमल जी माली निवासी चरिण्डा खेडा रसूलपुर कोटा।
4. गोपाली पत्नि इन्द्रकुमार जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा।
5. दी स्टेट आफ राज0 जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा एवं सुरेश गोचर

दावा विभाजन आराजी व निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा **53 88 89 188** आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 89 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास में मुताबिक जमाबन्दी सवंत 2074–2077 में निम्न आराजी स्थित है।

खसरा न 401 की रकबा 0.42 है
खसरा न 402 की रकबा 0.34 है0
खसरा न 403 की रकबा 0.06 हैक्टर
कुल किता तीन की 0.82 हैक्टर

उपरोक्त आराजी के सेटलमेंट [illegible] 5 बीघा 1 बिस्वा था जिसे 5000 रूप्ये में तत्कालीन खातेदार कस्तूरचंद से दिनांक [illegible]5 को जये रजिस्टर विक्रयपत्र से इन्द्रकुमार व रामकरण ने हिस्सा बां[illegible] नामान्तरण न 334 से उक्त आराजी इन्द्रकुमार व रामकरण के खाते दर्ज हो गयी [illegible]जिसका अमल जमाबन्दी सवंत 2047 से 2050 में हो रहा है।
इन्द्रकुमार की मृत्यु होने पर उक्त भूमि इन्द्रकुमार के वारीसान प्रतिवादी 1 [illegible] 4 के खाते दर्ज हुई इस प्रकार 1/2 में वादी रामकरण तथा 1/2 में इन्द्रकुमार के वारीसान प्रतिवादी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

लगायत 4 दर्ज होना चाहिए परन्तु राजस्व रिर्कार्ड में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में परिवर्तित खसरा न 401, 402 ,403 में उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी 1लगायत 4 के संयुैत खातेदारी में बिना हिस्सा दर्ज किए प्रविष्टि कर दी गई।

जमाबंदी सवंत 2074–2077 में उक्त जमाबंदी में वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 4 सभी को 1/5 –1/5 में खातेदार वर्णित कर दिया जबकि 1/2 में वादी रामकरण तथा 1/2 में प्रतिवादी 1लगायत 4 दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार वादी का गलत हिस्सा दर्ज हो जाने से वादी के हितों पर कुठारघात हुआ हैं। वादी ने इस हेतु प्रतिवादी न0 5 को प्रार्थना पत्र देकर हिस्सा दुरूस्त करने को कहा तो उन्होंने दावा दायरी के निर्देश दिये। वही प्रतिवादी 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 4/5 दर्ज होने से वह आराजी विक्रय की धमकी दे रहे है। ऐसी स्थिति में वादी को अपने ही हिस्से की भूमि से वंचित होना पडेगा। इसलिए वादी को आवश्यक रूप से बिना समय गवाये तत्काल यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं और प्रतिवादी को भूमि खुर्द बुर्द करने से रोकना व वादी का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 1/2 घोषित कराना तथा वादी के 1/2 हिससे की भूमि का खाता विभाजन कराकर पृथक खाता दर्ज करवाना आवश्यक हो गया हैं। इसलिए यह वाद इन्द्राज दुरूस्ती हक घोषणा व खातेदारी व विभाजन खाता व निषेधाज्ञा हेतू प्रस्तुत किया जा रहा है वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से प्रतिवाद नं 5 राज्य सरकार को बिना नोटिस दिये ही यह वाद धारा 80 2 CPC के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा हैं वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा हिस्सा दुरूस्त करने से मना करने पर व भूमि खूर्द बूर्द करने की धमकी देने पर दिनांक 03.03.2020 को उत्पन्न हुआ वादग्रस्त सम्पत्ति ग्राम खजूरी तहसील कनवास में स्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त होने से यह वाद निश्चित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी हक घोषणा की ड्रिकी पारित की फरमाई जाकर वादी को वादपत्र के पैरा नं 1 में वर्णित आराजी ग्राम खजूरी की खसरा नं 401 की 0.42 है0, खसरा नं 402 की 0.34 है, खसरा नं 403 की 0.06 है0 कुल किता 3 की 0.82 हैक्टर आराजी में वादी रामकरण पुत्र जवाहरलाल माली निवासी खजूरी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी 1 में लगा 4 को भी सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद कराया जावे। वाद पत्र के पैरा नं 1 में वर्णित आराजी ग्राम खजूरी की खसरा नं 401 की 0.42 हैक्टर व खसरा नं 402 की 0.34 हैक्टर व खसरा नं 403 की 0.06 हैक्टर कुल किता 3 की 0.82 हैक्टर आराजी के विभाजन की ड्रिकी पारित फरमाई जाकर वादी के 1/2 हिस्से की आराजी का पृथक खाता व लगान कायम किया जावे व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावें वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की ड्रिकी पारित फरमाई जावें कि वादपत्र के पैरा नं 1 में वर्णित आराजी को प्रतिवादी खुर्द बुर्द न करें तथा 1/2 हिस्से तक वादी को काश्त करने से न रोके व मदाखलत व मजामद न करें वाद व्यव व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावें।

वाद पत्र के पेश होने पर तलवी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादी 1 लगायत 4 की ओर से श्री महावीर मैरोठा एडवोकेट ने वकालतनामा ... दावा पेश किया तथा वादी व प्रतिवादी 1लगायत 4 मे स्वयं उपस्थित होकर मय ... राजी नामा पेश किया राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगणों को सुनाया व समझाया गया ... राजीनामा सुन समझकर सही व सत्य होना स्वीकार किया राजीनामा तस्दीक किया ... जवाब सरकार लिया गया जवाब सरकार में कोई आपत्ति नही की गई।पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध जमांबंदी सवत् 2047–2050 व नामान्तरण संख्या 334 ... इन्द्रकुमार व रामकरण दोनों के आराजी सम भाग में 1/2 व 1/2 दर्ज है इन्द्र कुमार की मृत्यु पर उसके 1/2 हिस्से की आराजी प्रतिवादी 1लगायत 4 के खातेदार होना चाहिए परन्तु सहवन से वादी व प्रतिवादी के 1/5–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

1/5 दर्ज हो गया जिसे दुरस्त किया जाना व राजीनामा अनुसार विभाजन किया जाना उचित समझता हू तथा वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डीक्री किया जाना उचित समझता हूँ

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर अतिंम डीक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है ग्राम खजूरी के खसरा न0 401 की रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा न0 402 की 0.34 हैक्टर व खसरा न0 403 की 0.06 हैक्टर कुल किता 3 की 0.82 हैक्टर आराजी में वादी रामकरण पुत्र जवाहर लाल माली निवासी खजरी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी 1 लगायत 4 नवीन, आशा, मधु, गोपाली, को भी संयुक्त रूप से 1/2 का खातेदार घोषित किया जाकर घोषणा की डीक्री पारित की जाती है तथा मुताबिक राजीनामा उपरोक्त वर्णित आराजी के विभाजन तथा पृथक–पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। वादी रामकरण पुत्र जवाहर लाल जाति माली निवासी खजूरी के पृथक खाते में एवं कब्जे में ग्राम खजूरी की खसरा न0 401 की 0.42 हैक्टर संपूर्ण रकबा दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी नवीन पुत्र इन्द्रकुमार आशा पुत्री इन्द्रकुमार मधु पुत्री इन्द्र कुमार गोपाली पत्नि इन्द्रकुमार जाति माली निवासी खजूरी के सयुंक्त रूप से पृथक खाते में ग्राम खजूरी के खसरा न0 402 की 0.34 हैक्टर सम्पूर्ण रकबा व खसरा न0 403 की 0.06 हैक्टर कुल 2 किता की 0.40 हैक्टर आराजी दर्ज की जावे तथा विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाता में अमल दरामद किया जावे। विभाजन की अंतिम डीक्री पारित की जाती है। नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के पृथक–पृथक खाते उपरोक्तानुसार आराजी दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 के लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (Raj.)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या 18/2020 दावा **निर्णय दिनांक 08.12.2020**

बउनवान

1.रामकरण पुत्र जवाहर लाल जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. नवीन पुत्र इन्द्रकुमार जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा
2. आशा पुत्री इन्द्र कुमार पत्नि सुरेश जी माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
3. मधु पुत्री इन्द्रकुमार पत्नि तेजमल जी माली निवासी चरिण्डा खेडा रसूलपुर कोटा
4. गोपाली पत्नि इन्द्रकुमार जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास जिला कोआ
5. दी स्टेट आफ राज0 जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोट

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा एवं सुरेश गोचर ।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **18/2020** सन **2020** तारीख फैसला **0812..2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **नरेन्द्र कुमार कटारिया वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा व सुरेश गोचर तथा प्रतिवादीगण 5 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद विभाजन आराजी व निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विभाजन प्राथमिक डिकी किया जाता हैं तथा आदेश दिये जाते है कि अतः वादी का वाद स्वीकार कर अतिंम डीकी किया जाता है ग्राम खजूरी के खसरा न0 401 की रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा न0 402 की 0.34 हैक्टर व खसरा न0 403 की 0.06 हैक्टर कुल किता 3 की 0.82 हैक्टर आराजी में वादी रामकरण पुत्र जवाहर लाल माली निवासी खजरूी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी 1 लगायत 4 नवीन, आशा, मधु, गोपाली, को भी संयुक्त रूप से 1/2 का खातेदार घोषित किया जाकर घोषणा की डीकी पारित की जाती है तथा मुताबिक राजीनामा उपरोक्त वर्णित आराजी के विभाजन तथा पृथक–पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। वादी रामकरण पुत्र जवाहर लाल जाति माली निवासी खजूरी के पृथक खाते में एवं कब्जे में ग्राम खजूरी की खसरा न0 401 की 0.42 हैक्टर संपूर्ण रकबा दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी नवीन पुत्र इन्द्रकुमार आशा पुत्री इन्द्रकुमार मधु पुत्री इन्द्र कुमार गोपाली पत्नि इन्द्रकुमार जाति माली निवासी खजूरी के संयुक्त रूप से पृथक खाते में ग्राम खजूरी के खसरा न0 402 की 0.34 हैक्टर सम्पूर्ण रकबा व खसरा [illegible] की 0.06 हैक्टर कुल 2 किता की 0.40 हैक्टर आराजी दर्ज की जावे तथा विभाजन किया जाकर [illegible] में पृथक पृथक खाता में अमल दरामद किया जावे। विभाजन की अंतिम डीकी पारित [illegible] राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के पृथक–पृथक खाते उपरोक्तानुसार आराजी दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:27 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...[illegible] .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.12.2020 माह दिसंम्बर 2020 को जारी की गई।

मोहर .....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....						
मीजान	....			मीजान	....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.29 15:04:27 IST
Reason: SelfAttested